प्रकरण संख्या 9/2024 अमरसिंह व अन्य बनाम हेमन्त व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सरे खुर्द, तहसील बड़गांव में आराजी 3146 रकबा 0.9700 हैक्टर एवं आराजी नंबर 3141 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 1482 रकबा 0.4550 हैक्टर एवं 1482/1 रकबा 0.4550 हैक्टर से होकर है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 17 के नुमाईशी खातेदारी में दर्ज है। मौके पर कच्चा रास्ता है, जिसके दोनों तरफ खातेदारान द्वारा कच्ची–पक्की पत्थर एवं थोर को बाउण्ड्री बना रखी है, जो कच्ची गडार नुमा लगभग 30 से 35 फिट चौड़ा रास्ता है, जो सरकारी रास्ते से उक्त आराजी नंबर 1482 में से होकर आराजी नंबर 1482/1 में मिलता है एवं बिलानाम आराजी नंबर 3146 के सामने से होकर आगे सरकारी रास्ते पर मिलता है, जिसका उपयोग प्रार्थी करीब 50 वर्षो से करता चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 1482 एवं 1482/1 एवं 1474 में स्थिति रास्ते की भूमि वर्तमान में बने रास्ते के अनुसार 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बड़गांव से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 06.02.2024 को रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 17 तक की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेशचन्द्र जणवा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता मांगा गया है वह निकट का रास्ता है या उसकी सुविधा का रास्ता, उसका भौतिक सत्यापन कर आदेश पारित करना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और बिना मौके का अवलोकन किये उक्त आदेश पारित कर दिया है, जबकि उक्त भूमि से कुछ ही दूरी पर राजस्व रास्ता स्थित है, जो प्रार्थी को नहीं दिया जाकर उक्त भूमि से करीब एक किलोमीटर लम्बा रास्ता दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.02.2024 अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बड़गांव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। तहसीलदार बड़गांव द्वारा उपखण्ड अधिकारी बड़गांव के समक्ष जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नंबर 3146 में जाने के लिए ग्राम सरे खुर्द की बिलानाम आराजी नंबर 1474 में से होकर ग्राम सरे खुर्द की अमरसिंह की खातेदारी की आराजी नंबर 1482/1 व ग्राम सरे की आराजी नंबर 1482 में मौके पर रास्ता बना हुआ है, जो परम्परागत रास्ता होकर ग्रामवासी इस रास्ते का उपयोग वर्षो से करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक उपलब्ध नहीं है तथा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, वह न्यूनतम दूरी का रास्ता है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 थे, परन्तु तत्समय उनके द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर खातेदार को डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत अदा करने की शर्त पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 113/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested